सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 142/2018

रामकरण पुत्र जयराम जाति मीना निवासी ग्राम काली पहाडी उप तहसील सैंथल तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.02.2018
व न्यायालय उप तहसीलदार, सैंथल

उपस्थित : 1.श्री समरथ लाल मीना, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 29.01.19

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 26.02.2018 को ग्राम काली पहाडी तहसील दौसा के आ0ख0 1667 रकबा 0.05 है0, 1815 रकबा 0.50 कुल रकबा 0.55 किस्म गै0मु0 रास्ता व चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूँठी रिपोर्ट की है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया का पालना नहीं करते हुए पीछे से इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस पर उसके भाई भींवाराम के हस्ताक्षर मौजूद है और दिनांक 15.01.2019 को भींवाराम स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति रहे है। तत्पश्चात वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26.02.18 पर रखी गई। किंतु दिनांक 26.02.2018 को अपीलांट बावजूद नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में '' पुख्ता मकान व गेहॅू'' अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना बताया है। इस संबंध में पटवारी हल्का के अधीनस्थ न्यायालय में बयाने लिये गये बयानों में पटवारी हल्का ने अपीलांट को पश्चातवर्ती व आदतन अतिचारी बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 1667 व 1855 व अन्य किसी भी चरागाह एवं सिवायचक भूमि पर कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 29 जनवरी, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official